संख्याः 4866 / 9—आ—1—1997

प्रेषक,
श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव, आवास
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1.समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

आवास अनुभाग—1 लखनऊः दिनांक 03 सितम्बर, 1997

विषयः अतिक्रमण विरोधी अभियान का संचालन।

महोदय,

यथा संशोधित उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अतिक्रमण हठाओं अभियान के कार्यान्वयन में यह अनुभव किया जा रहा है कि शासन की नीति के अनुरूप अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अपेक्षा के अनुरूप सम्पादित नहीं करवायी जा पा रही है। प्रायः देखने में आया है कि बिना स्थानीय जनता को विश्वास में लिये यह योजना अमल में लायी जाती है जिसके कारण भारी आक्रोश का सामना करना पड़ता है तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्य भी सम्पादित नहीं हो पाता। इस स्थिति का ध्यान में रखते हुए निम्न कार्य योजना तैयार की गयी है।

1. अतिक्रमण हटाओं अभियान प्रारम्भ करने से पूर्व सभी स्थानीय जल प्रतिनिधियों की एक बैठक आहूत की जाय जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, नगरपालिका के प्रतिनिधि भी बुलाये जायें तथा बैठक में अतिक्रमण से होने वाली यातायात असुविधा तथा अन्य प्रकार की कठिनाईयां, जैसे नालियों के बन्द होने का कारण, जलभराव की समस्या, प्रदूषण उत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी व इसके उपाय हेतु बनवाये गये अधिनियम क जानकारी तथा अभियान की रणनीति पर खुली चर्चा (Open Doscissopm) करवायी जाये। उक्त बैठक में जन प्रतिनिधियों के साथ—साथ प्रशासनिक व अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारीयों को भी आमंत्रित किया जाय जिससे किसी प्रकार की भ्रांति न रह जाय।

2. बैठक के आधार पर यथासम्भव सर्वसम्मति से एक अभियान के कियान्वयन हेतु नीति तैयार की जाय जिसका बड़े पैमाने पर समाचार प्त्रों के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार किया जाय। अभियान को प्रारम्भ करने से लगभग 10—15 दिन पूर्व समाचार प्त्रों में विज्ञप्ति छपवायी जाय तथा सील पर स्थानीय अभियन्ताओं की मदद से निशान लगवाये जाये। इस प्रकिया के पूर्ण होने पर वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाकर सील का निरीक्षण किया जाय ताकि लोगों की शंकाओं / प्रतिवेदनों / शिकायतों का मौका पर ही समाधान कर दिया जाय तथा जनता को इस बात के लिये प्रेरित किया जाय कि निर्माणकर्ता निर्धारित समय में स्वयं अतिक्रमण हटा लें। यदि निर्धारित अवधि में स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति के उपरान्त एक अभियान के रूप में प्रमुख मार्गों से योजना की शुरूआत की जाये। प्रत्येक दिन के लिये निर्धारित सड़क का पूर्ण अतक्रमण हटाने के बाद ही दूसरी सड़क को प्रारम्भ किया जाय। बिना किसी व्यक्ति के प्रभाव में आये स्पष्ट नीति अपनाते हुए समस्त अतिक्रमण हटवा दिये जाय तथा इस अतिक्रमण को हटाने में आये व्यय को सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ता से वसूला जाये।

3. इस बात का ध्यान रखा जाय कि अभियान का लक्ष्य अतिक्रमण हटाना है न कि किसी को नुकसान पहुंचाना। इसीलिये यह आवश्यक है कि अतिक्रमण हटाने के कार्यक्रम में कोई अचानकता ;नतचतपेमद्ध न हो, तरन् कार्यक्रम की पूर्व जानकारी हो, जिससे अतिक्रमणकर्ता यदि चाहें तो स्वयं अपना अतिक्रमण हटा सकें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संलग्नकः उपराक्तानुसार।

अर्द्ध0 शा0 पत्रांकः 3958/9–आ–3–97

अतुल कुमार गुप्ता
आई.ए.एस.

सचिव
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊ 226 001
दिनांक 28 नवम्बर, 1997

महोदय,नगरी क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि, मार्गों आदि पर अतिक्रमण को रोकने व हटाने के विषय में विस्तृत निर्देश मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 1773/9–आ–1–1995 दिनांक 18 मई, 1997 तथा पत्र संख्याः 1151/9–आ–3–97 दिनांक 31 मार्च, 1997 द्वारा पूर्व में जारी किये गये तथा समय–समय पर आवास विभाग द्वारा भी इस सम्बन्ध में विस्तृत निद्रैश विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों व विनियमित क्षेत्रों को जारी किये गये हैं।

2. उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26–क (2) के अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कोक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। सार्वजनिक भूमि एवं सड़कों पर अतिक्रमण को हटाने की प्रभावी कार्यवाही विकास प्राधिकरणों व नगर निगमों द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है किन्तु मुख्य कठिनाई यह हो रही है कि अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत पुलिस सहायता के लिए अनुरोध करने पर पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रही है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा–26–क के अन्तर्गत विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध दिनांक 31.10.1997 तक 591 (विवरण संलग्न) एफ0आई0आर0 थानों में दर्ज कराये गये हैं किन्तु उनके विरूद्ध अब तक अग्रसर कोई पुलिस कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है जिसकी वजह से इस कानून का कोई असर अवेध कब्जेदारों पर नहीं पड़ रहा हैं आवश्यक हे कि इन एफ0आई0आर0 पर प्रभावी कार्यवाही हो, जिसकी समीक्षा उच्च स्तर पर नियमित रूप से हो।

3. उक्त अधिनियम की भी धारा–26घ के अन्तग्रत ऐसे अधिकारियों के दण्ड की भी व्यवस्था की गई है, जिन्हें वार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख सचिव गृह के निर्देशें के अन्तग्रत शहरी क्षेत्रों में साग्रजनिक सड़क, पार्कों व नालों पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानाध्यक्षों को भी उत्तरदायी बनाया गया है। इसे प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है।

4. इस सम्बन्ध में मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा हुई है कि कृप्या अपने स्तर से पुलिस महानिदेशक तथा जिला मजिस्ट्रटों को निम्न बिन्दुओं पर कड़े निर्देश जारी करने का कष्ट करें। जारी किये गये निर्देशों प्रतिलिपि आवास विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(i) अतिक्रमण हटाओं अभियान के लिए पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय से प्र्याप्त पुलिस बल व मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराया जाय।

(ii) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26–क के अन्तग्रत सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध दर्ज एफ0आई0आर0 पर समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही व उसकी अच्चस्तरीय समीक्षा।

(iii) शहरी क्षेत्र में सड़क पार्कों आदि प्रमुख सार्वजनिक सीलों पर अतिक्रमण होने की दशा में सम्बन्धित थानाध्यक्षों के विरूद्ध उपरोक्त अधिनियम की धारा 26–घ के अन्तर्गत कार्यवाही।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

श्री राजीव रतन शाह,
प्रमुख सचिव,
गृह विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रिय,
उपरोक्त की प्रतिलिपि वार्तानुसार पृष्ठांकित है

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

श्री राकेश शर्मा,
स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रत्रांकः 4597च/97

श्रीराम अरूण

Sri Ram Arun

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001
DIRECTOR GENL. OF POLICE UTTAR PRADESH
1- TILAK MARG, LUCKNOW-226001

दिनांकः अक्टूबर, 26 1997

प्रिय महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम–1997, 2 मार्च से लागू हुआ। इस अधिनियम के सम्बन्ध में अपर महानिदेशक (अपराध) के प्त्र संख्या डीजी–सात–107–(148)–97 दिनांक 13.06.97 द्वारा आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया गया था। खेद का विषय हे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत थाना स्तर पर समुचित कार्यवाही नहीं हुइ जिस कारण इस अधिनियम का प्रभाव परलिक्षित नहीं हो रहा है।

2. इस अधिनियम की एक–एक प्रति आप कृप्या समस्त थानाध्यक्षों को नुनः उपलब्ध करा दें तथा उनका ध्यान इस अधिनियम की धारा 26–घ जिसका उद्धहरण नीचे दिया जा रहा है, की और विशेष रूप से आकृष्ट कर दें।

अतिक्रमण न रोकने के लियेशासित — 26–घ जो कोई, जिसे इस अधिनियम की किसी अन्य अधिनियम, नियम या उपविधियों के अधीन अतिक्रमण या बाधा को रोकने या निवारित करने से स्वेच्छापूर्वक या जानबूझ कर उपेक्षा करता है, या जानबूझ कर छोड़ देता है तो उसे साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जर्मान से जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

3. उपरोक्त प्राविधानों के सम्बन्ध में स्थित निम्नवत् स्पष्ट की जाती है :–

(i) सार्वजनिक मार्ग, फूटपाथ और सार्वजनिक पार्कों में यदि अतिक्रमण हो रहा है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी थानाध्यक्ष पर होगी। अतिक्रमण को हटाने और यदि अतिक्रमण हो रहा है तो उसमें हस्तक्षेप करके निर्माण कार्य को रूकवाने ओर उसको भौतिक रूप से हटवाने के लिए स्थानीय निकाय आदि के अधिकारियों से सम्पर्क करने का उत्तरदायित्व थानाध्यक्ष का होगा।

(ii) प्रत्येक नगरीय थाने के अधिकार क्षेत्र भीतर राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की जो सम्पत्ति है उसकी सुरक्षा के विषय में थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सीधे नहीं होगी पर यदि अतिक्रमण की शिकायत थाने में दज्र कराई जाती है तो थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायत सुरन्त दर्ज की जाये और उस पर त्वरित प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन न करने की अवस्था में उन पर अभियोजन चालाया जा सकता है। अथवा दोष सिद्ध होने पर दस हजार रूपये अर्थदण्ड अथवा एक मास के कारावास के दण्ड का भी प्राविधान है।

4. शासन इस मामले में कार्यवाही हेतु अत्यन्त गम्भीर है आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप कृप्या तत्काल सम्बन्धित थानाध्यक्षों– विशेषकर नगरीय थानाध्यक्षों को सचेत कर कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा उसका अनुश्रवण करते रहें। अवैध अवरोध हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही न केवल की जय बल्कि सम्बन्धित प्राधिकरणों से मिल कर इस प्रकार की जाय कि उसके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दें।

भवदीय,

श्रीराम अरूण

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद, उ0प्र0
समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे, उ0प्र0
उत्तर प्रदेश शासन।
प्रिय महोदय

उपरोक्त की प्रतिलिपि आपका इस आशय से प्रेषित है कि आप कृप्या अपने परिक्षेत्र/जोन में इन आदेशों का कड़ाई से पालन करायें तथा परिणामों की समीक्षा भी करते रहें।

ससद्भाव।

भवदीय,

श्रीराम अरूण

समस्त पुलिस अपमहानिरीक्षक,
परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेलवेज,
लखनऊ/इलाहाबाद।

समस्त पुलिस महानिरीक्षक,
जोन, उत्तर प्रदेश।
पुलिस महानिरीक्षक,रेलवेज,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।
महानिदेशक, रेलवेज,
उत्तर प्रदेश, लखन।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,

उत्तर प्रदेश आवास एक्ट मई, 1997 को अधिनियमित हुए लगभग चार माह हो गये हैं, परन्तु अभी तक उसका कार्यान्वयन प्रारम्भ ही नही हुआ है और एक ही एफ0आई0आर0 दर्ज होने की सूचना प्राप्त नही हुई है।

यह आवश्यक है कि अधिनियम की मूल प्रति प्रत्येक नगर क्षेत्र के थानाध्यक्षों को इस निर्देश के साथ भज दी जाये कि उसमें इंगित अपनी जिम्मेदारी को पढ़कर/समझकर उसका भलीभांति निर्वहन कर सकें। उनका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया जाय कि इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि वे अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन नही करते तो उनके उपर आवास अधिनियम की धारा–26–क के अन्तग्रत अभियोजना चलाया जा सकता है और दोष सिद्ध पाये जाने पर दस हजार रूपया जुर्माना या एक वर्ष का कारावास हो सकता है। आवास सचिव इस विषय में प्र्याप्त संख्या में अधिनियम की प्रति प्रिन्ट कराकर अपर महानिदेशक, अपराध को उपलब्ध करायेंगे और अपर महानिदेशक, अपराध प्रत्येक प्रति के साथ पुलिस महानिदेशक की ओर से विस्तृत निर्देश की एक प्रति अधिनियम के साथ संलग्न करके सभी नगररीय थानाध्यक्षों को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित कर देंगे। पुलि महानिदेशक की ओर से जो निर्देश निर्गत किये जाये उनमें निम्नलिखित तत्वों को शासमिल कर लिया जाये।

इस अधिनियम के अन्तर्गत थानाध्यक्षों का स्पष्ट उत्तरदायित्व इस प्रकार होगा :–

1. सार्वजनिक मार्ग, फूटपाथ और सार्वजनिक पार्कों मेंयदि अतिक्रमण होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी थानाध्यक्ष पर होगी। अतिक्रमण को हटाने ओर यदि अतिक्रमण हो तो इसमें हस्तक्षेप करके निर्माण को रूकवाने और उसको भौतिक रूप से हटवाने के लिए स्थानीय निकाय आदि के अधिकारियों उसे सम्पर्क करने का उत्तरदायित्व थानाध्यक्ष का होगा।
2. प्रत्येक नगरीय थाने के अधिकार क्षेत्र के भीतर रात्य सरकार अथवा भारत सरकार की जो सम्पत्ति हे उसकी सुरक्षा के विषय में थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सीधे नहीं होगी पर यदि अमुक राज्य सरकार के विभाग या भारत सरकार के विभाग की ओर से उनकी अपनी सम्पत्ति पर अनाधिकार अतिक्रमण की शिकायत थाने में दर्ज कराई जाती है तो थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायत सुरन्त दर्ज की जाये और उस पर त्वरित प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उपरोक्तानुसार निर्देश निर्गत कर दिये जायें।

भवदीय,

आर0आर0 शाह
प्रमुख सचिव
गृह विभाग, उ0प्र0 शासन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव,गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, माननीय नगर विकास मंत्री जी।

आर0आर0 शाह
प्रमुख सचिव
गृह विभाग, उ0प्र0 शासन
30/09/97